Regarding need to establish an ESIC hospital in Bulandshahr district, Uttar Pradesh-Laid

डॉ**.** भोला सिंह **(**बुलन्दशहर**) :** मैं सरकार का ध्यान बुलंदशहर जनपद, उत्तर प्रदेश के लाखों श्रमिकों एवं उनके परिवारों से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ । बुलंदशहर में अनेक औद्योगिक इकाइयाँ, कारखाने तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) सक्रिय हैं, जिनमें हजारों श्रमिक कार्यरत हैं । इन श्रमिकों में से अधिकांश कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अंतर्गत पंजीकृत हैं, परंतु उनके लिए जनपद में कोई समुचित ईएसआईसी अस्पताल उपलब्ध नहीं है । उन्हें गंभीर बीमारी या विशेष उपचार के लिए दिल्ली, गाजियाबाद या मेरठ जैसे शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे न केवल आर्थिक बोझ बढ़ता है, बल्कि जीवन-रक्षक उपचार में विलंब की आशंका भी रहती है । कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के उद्देश्य को सार्थक करते हुए मैं आग्रह करता हूँ कि बुलंदशहर में शीघ्र ही एक पूर्ण रूप से सुसज्जित ईएसआईसी अस्पताल की स्थापना की जाए, ताकि श्रमिकों एवं उनके परिवारों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं स्थानीय स्तर पर सुलभ हो सकें ।